श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01.01.2012 से 31.12.2012

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(i) हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (ए) 3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के मन्दिरों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, श्री चामुण्डा नन्दिकेशवर मन्दिर न्यास चामुण्डा के अवधि 1/12 से 12/12 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) **अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास में निम्नलिखित मन्दिर अधिकारी कार्यरत्त रहेः–**

क्रम संख्या	मन्दिर अधिकारी का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री बी0एस0 ठाकुर	01.01.12 से 28.03.13

(iii) अंकेक्षणाधीन अवधि मे पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि
1	10 (च)	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करने बारे	150894
2	11	आयकर एवं बिकी की की वसूली न करने बारे	81109
3	12	नौकायान ठेका के बकाया किराये बारे	94000
4	8	चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमितता नियुक्ति के बारे में	विवरण पैरे मे दिया गया है

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

मन्दिर न्यास द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पड़े पैरों पर की गई कार्रवाई की अंकेक्षण द्वारा जाँच के उपरान्त जिन पैरों का निपटारा हो सकता था उनका निपटारा मौके पर कर दिया गया परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा गम्भीर प्रवृति के पैरों पर विशेष कार्रवाई नहीं की गई। अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है ताकि इस प्रकार के प्रकरणों में भी अविलम्ब कार्रवाई अमल में लाई जा सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/2012 से 12/2012 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी तथा श्री भवनीश पुरी आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 02.12.2013 से 04.01.2014 के दौरान चामुण्डा में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं। माह 07/2012 का चयन आय की विस्तृत जाँच हेतु तथा माह 4/12 का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

मन्दिर न्यास के अवधि 01/2012 से 12/2012 के वर्तमान लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹25000 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने के लिए अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 49, दिनांक 04.01.14 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2012 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

वर्ष 2012	
प्रारम्भिक शेष	**30719609.73**
प्राप्तियाँ	35238043.15
अनुदान / ऋण	6580000.00
ब्याज	4488165.38
कुल योग	**77025818.26**
व्यय	24373479.00
अन्तिम शेष	**52652339.26**

बैंक के अनुसार अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.12.12 को निम्नविवरणानुसार बैंक में जमा राशि	1961920.26
सावधिक जमा में निवेश (**परिशिष्ट–ख**)	50857235.00
कुल जोड़	**52819155.26**

दिनांक 31.12.2012 को बैंक जमा का विवरण

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**राशि**
1	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353807064	799149.00
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353808591	55815.23
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया धर्मशाला	10551097090	161332.31
4	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक पठियार	20105004951	870258.77
5	पंजाब नैशनल बैंक नगरोटा बगवां	0802000102365502	65673.20
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक धर्मशाला	06051450000049	8621.75
7	यूको बैंक पालमपुर	18780110005606	1070.00
		कुल जोड़	**₹1961920.26**

दिनांक 31.12.12 को बैंक में जमा राशि	**₹52819155.26**
रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	**₹52652339.26**
अन्तर	**₹166816.00**

अन्तर के कारणः—

चैक जो जारी किए गए परन्तु दिनांक 31.12.12 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गएः—

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	जिसे जारी किए गए	राशि
1	62507	15.9.12	अमर उजाला	5000
2	063177	28.12.12	अरूनेश प्रिटिंग प्रैस, टंग	2500
3	936497	28.12.12	श्री सुभाष चन्द	36602
4	276971	28.12.12	सुलभ इन्टरनेशनल चण्डीगढ़	55940
5	063214	29.12.12	दशहरा कमेटी धर्मशाला	10000
6	063200	29.12.12	शास्त्रीय संगीत परिषद	50000
7	936500	29.12.12	वालिया स्टेशनरी धर्मशाला	3674
8	063451	31.12.12	अमरनाथ मस्सल	3100
			कुल योग	**₹166816**

5 निवेशः—

श्री चामुण्डा नन्दिकेशवर मन्दिर न्यास चामुण्डा द्वारा **₹**50857235/— (**परिशिष्ट "ख")** के अनुसार दिनांक 31.12.2012 को सावधि जमा में की गई है।

6 सोना :—

(क) मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास की सोने की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट ''ग''** पर दिया गया है।

(ख) सोने की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान वित्तीय स्थिति 4 कि0ग्रा0, 973 ग्रा0 तथा 270 मि0ग्रा0 सोने की मात्रा स्वर्ण बांड योजना में जमा दर्शाई गई है तथा यह भी दर्शाया गया कि उक्त सोने की मात्रा को प्रारम्भिक शेष में नहीं किया गया था। इसी प्रकार वर्तमान वित्तीय स्थिति में 22 ग्राम तथा 500 मि0ग्रा0 सोने की मात्रा नन्दिकेश्वर में जमा दर्शाई गई है तथा यह भी दर्शाया गया है कि उक्त सोने की मात्रा को भी प्रारम्भिक शेष मे ंनहीं लिया गया था। अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में न्यास स्तर पूर्ण छानबीन करके अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए कि उकत दोंनों प्रकरणों में सोने की मात्रा को गत वर्ष की वित्तीय स्थिति के अन्तशेष तथा तदानुसार वर्तमान अवधि की वित्तीय के प्रारम्भिक शेष में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी सत्यापित किया जाए कि अब सोने की समस्त मात्रा को वित्तीय स्थिति में सम्मिलित कर लिया गया है ताकि न्यास की सोने की वित्तीय स्थिति ठीक ढ़ंग से परिलक्षित की जा सके।

7 चांदी :–

(क) मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास की चाँदी की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट ''घ''** पर दिया गया है।

(ख) चाँदी की वर्तमान वित्तीय स्थिति में 6 कि0 ग्रा0 273 ग्रा0 तथा 500 मि0ग्रा0 चाँदी की मात्रा नन्दिकेशवर मन्दिर में जमा की गई दर्शाई गई है तथा यह भी दर्शाया गया है कि इस उक्त चाँदी की मात्रा को आरम्भिक शेष मे ंनहीं लिया गया था। अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में न्यास स्तर पूर्ण छानबीन करके अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए कि चाँदी की उक्त मात्रा को गत वर्ष की वित्तीय स्थिति के अन्तशेष में तथा तदानुसार वर्तमान अवधि की वित्तीय स्थिति के प्रारम्भिक शेष में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी सत्यापित किया जाए कि अब चाँदी की समस्त मात्रा को वित्तीय स्थिति में सम्मिलित कर लिया गया है ताकि न्यास की चाँदी की वित्तीय स्थिति ठीक ढ़ंग से परिलक्षित की जा सके।

(ग) चाँदी की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान वित्तीय स्थिति में 172 कि0ग्रा0, 825 मि0ग्रा0 चाँदी की मात्रा कम की गई दर्शाई गई है तथा यह भी दर्शाया गया कि चाँदी की यह मात्रा वास्तव में अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के पैरा संख्या 7 में दर्शाई गई कम मात्रा है जिसकी वसूली रसीद संख्या 499/24020 दिनांक 24.6.09 द्वारा कर

ली गई है। इस सन्दर्भ में न्यास स्तर पर पूर्ण छानबीन करके अंकेक्षण को इस तथ्य/वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए कि वसूली गई राशि का आंकलन करने का क्या आधार था तथा वसूली की कितनी राशि रोकड़/कैश बुक में किस दिनांक को जमा करवाई गई है।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त गत वर्षों की वित्तीय स्थिति की तरह वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी 142 कि0ग्रा0, 501 ग्रा0 तथा 842 मि0ग्रा0 चाँदी की मात्रा का अन्तर दर्शाया गया है तथा यह भी वर्णित किया गया है कि उक्त अन्तर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005 के पैरा संख्या "क" तथा "ख" में दिए गए विवरणानुसार कम दर्शाई गई चाँदी की मात्रा से सम्बन्धित है। अतः इस प्रकरण में भी न्यास स्तर पर विस्तृत जाँच/छानबीन करके अन्तर के कारणों के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमितता नियुक्ति के बारे में :–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि आयुक्त मन्दिर के कार्यालय आदेश संख्या C.T. KGR-B(6)-12/2011-1241-43 दिनांक 19.9.11 द्वारा श्रीमती नीमा देवी को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति दी गई तथा लगभग 7 महीने तक दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया। तदोपरान्त आयुक्त मन्दिर के कार्यालय आदेश संख्या C-T-KGR (B) (6)-12/2011-632 to 639 दिनांक 23.4.12 द्वारा उक्त कर्मचारी को नियमत आधार पर 4900–10680 (+) ग्रेड पे 1300 पर नियुक्ति कर लिया गया जबकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 534 धारा 4 के अनुसार किसी भी प्रकार की नियुक्ति मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अर्थात प्रधान सचिव (LAC) द्वारा अनुमोदित की जानी अपेक्षित थी तथा सरकारी निर्देशानुसार दैनिक भोगी कर्मचारी को 8 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमित किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त नियमों जिन नियमों के आधार पर उक्त नियुक्ति की गई उसे दर्शाकर इसे उचित ठहराया जाये व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

9 कार्य का नाम **P/L Sign Board in Almunium Composite Pannel frame in Sh. Chamunda Nandikeshwar Mandir**

एजेन्सी **M/S Him Enterprises Near Bus Stand Kangra**

माप पुस्तिका संख्या **41 पृष्ठ 72–73**

वाउचर संख्या 80 दिनांक 14.4.12 ₹60843/–

(क) माप पुस्तिका नं0 41 के पृष्ठ संख्या 73 की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को मद संख्या 8 (i) से (iv) की मात्रा 5184 Sq inch हेतु ₹3 की दर से ₹15552/–का भुगतान किया गया जबकि उक्त मद की सही मात्रा 5040 Sq. inch बनती है जिस के लिए ₹15120/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार संविदाकार को ₹432/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी न्यास स्त्तर पर जाँच करके तथा अपेक्षित वसूली करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

(ख) उक्त कार्य का प्राकलन तैयार नहीं किया गया तथा उक्त कार्य के बिलों को मन्दिर अधिकारी व अभियन्ता द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया जिस बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त किये गये कार्य की गुणवता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

10 कार्य का नाम **C/O Shopping Mall (Sh. RCC Framed Structure)**

वाउचर संख्या **30 दिनांक 31.3.12**

एजेन्सी **M/S Vinay Garg**

अवार्ड पत्र संख्या **1/10 CH-NA-MA Temple 3198 दिनांक 8.12.10**

अवार्ड राशि **18150000/– (71.16% above HPSR 1999 & 27% below HPSR 2009)**

माप पुस्तिका संख्या **42**

बिल **2nd Running Bill**

मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर धाम चामुण्डा द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य श्री विनय गर्ग को पत्र संख्या 3198 दिनांक 8.12.10 द्वारा कुल ₹18150000 में आंबटित किया गया है। अंकेक्षण के दौरान इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच उपरान्त निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) माप पुस्तिका नं0 42 पेज 61 की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 5 (v) Providing form work with steel 3.15 mm thick welded with angle iron stab की गणना करने पर कुल ₹215803/–का भुगतान बनता था जबकि न्यास द्वारा ₹215826/– का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹23 का अधिक भुगतान किया गया हैं। अतः अधिक भुगतान की जाँच न्यास स्तर पर करके तथा अपेक्षित वसूली करके मन्दिर निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) माप पुस्तिका पृष्ठ 62 की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 6 (Providng 8 Fixing M.S. 8 tor steel) की मात्रा 121186.87 कि0ग्रा0 का ₹39.95 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹4841415.45 का भुगतान किया गया दर्शाया गया है जबकि उक्त मद की सही मात्रा ₹121146.87 बनती है जिसका भुगतान ₹4839817.45 किया जाना अपेक्षित था। अतः अधिक किए गए भुगतान की न्यास स्तर पर जाँच करके तथा अपेक्षित वसूली करके मन्दिर निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) माप पुस्तिका पृष्ठ 61 की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 5 (ii) form work in Columns का भुगतान ₹106101/– (589.45m2x180) किया गया जबकि उक्त मद का Analysis Rate ₹172.95 बनाया गया था परन्तु उक्त मद की Negotitation नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाए। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य से सम्बन्धित सभी मदों की मदवार Justification नहीं बनाई गई जिसके अभाव में भुगतान की गई दरों की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) अवार्ड पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार संविदाकार द्वारा उपयोग किए गए खाली cement के Bag मन्दिर न्यास में जमा करवाने थे अन्यथा प्रत्येक खाली Bag की ₹5 प्रति Bag की दर से वसूली संविदाकार से की जानी थी। सीमेन्ट की उपयोगिता विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य हेतु 6294 बैग सीमेन्ट उपयोग हुये परन्तु संविदाकार द्वारा खाली बैग जमा नहीं करवाये गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इसकी ₹5 प्रति दर से कुल ₹31470/– की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

(ङ) संविदाकार द्वारा मद संख्या 5 (v) के अन्तर्गत welding work का कार्य किया गया व इस कार्य हेतु बिजली का प्रयोग किया गया था परन्तु संविदाकार द्वारा प्रयोग की गई बिजली का स्त्रोत अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के लिये

बिजली का प्रयोग मन्दिर न्यास से किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से जब अंकेक्षण द्वारा चर्चा की गई तो उनके द्वारा भी आडिट को अवगत करवाया गया कि बिजली का प्रयोग मन्दिर न्यास से ही किया गया। अतः संविदाकार से विद्युत प्रभार की वसूली प्रयोग किए गए Unit के आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

(च) इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा नीचे दिये गये निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिलों में से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई है। माप पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों में संविदाकार द्वारा जल को क्रय करने व निर्माण कार्यों में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा जल के लिये किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया अपितु जल का प्रयोग मन्दिर न्यास के स्त्रोतों से निशुल्क किया गया। इस प्रकार निशुल्क जल प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत (10059612/— पर 1.5% की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹150894/— की वसूली उचित स्त्रोतों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(छ) अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा करवाए गए कार्य C/O Shopping Mall (SH. RCC Framed Structure) से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार कार्य किया गयाः—

Sr. No.	Specification	Estimated Quantity	Executed Quantity
1	Excavation in foundation trenches in earth work	1171.69 cum	1352.31 cum
2	P/L CC 1:4:8	122.40 Cum	52.69 cum
3	P/L CC 1:5:10	53.60 cum	19.73 cum
4	P/L CC 1:6:12	136.01 cum	167.22 cum
5	From Work		
	(i) Footing	400.48 Sqm	261.70 m2
	(ii) Beams	1887.76 Sqm	974.80 m2
	(iii) Flat F	3468.70 m2	1660.02 m2
	(iv) Edge of Slab	439.53 m2	226.37 m2
6	Tor Steel	171135 Kg	121186.87 Kg

7	P/L 1:2:4		
	(i) Footing	222.28 cum	198.67cum
	(ii) Column	72.72 um	77 cum
	(iii) Beams	808.96 cum	187.15 cum
	(iv) Stair Case	20.04 cum	40.95 cum
	(v) Slab	275.22 cum	227.59 cum
8	Boulder filling	294.27 cum	222.97 cum
9	Brick Work	327 cum	40.32 cum
10	Sand filling	120.89 cum	111.48 cum

तत्पश्चात जिलाधीश के पत्र संख्या CT-KGR-1602-1603 दिनांक 16.12.11 द्वारा इस कार्य की ड्राईग (Drawing) में परिवर्तन करने हेतु इस कार्य को आगामी आदेशों तक रोक दिया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योंकि उक्त विवरण के अनुसार संविदाकार द्वारा लगभग 70**%** कार्य पूर्ण कर दिया गया था तथा लगभग 2 वर्ष बीत जाने पर भी इस कार्य को पुनः आरम्भ नहीं किया गया। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

11 संविदाकारो के बिलों से आयकर एवं बिक्री कर के रूप में ₹81109/– की कटौती न करने बारेः–

मन्दिर न्यास के कार्य बिलों के "Test Check" के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित बिलों का भुगतान आयकर एवं बिक्री की कटौती किए बिना ही किया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व आयकर तथा बिक्री कर के रूप से कटौती न की गई ₹81109/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि सम्बन्धित विभागों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी तदानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।

वा0सं0 व दि0	बिल की राशि	**आयकर की राशि**	**बिक्री कर की राशि**	**वसूली योग्य राशि**	**अन्य विवरण**
57/19.8.13	1581545	35585	31631	67216	C/Ooperation and maintaine of sulabh Complex at Bazoi

					Chowk The Dharamsala MB 38 Page 99
–	617460	13893	–	13893	C/O Sweeping of temple Surrounding area including collection & Removal of garbage by M/S Sulbh international Aggrement No. 113/2012
			कुल जोड़	**₹81109**	

12 नौकायान से सम्बन्धित अवधि 1.3.11 से 28.2.12 की ₹94000/– की वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मन्दिर कार्यालय के पत्र संख्या 1/2009–351–353 दिनांक 1.3.09 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार ठेकेदार निवासी अमृतसर को कृत्रिम झील में नौकायान का अवधि 1.3.10 से 28.2.14 का ठेका प्रति वर्ष की संचित राशि पर 5**%** वृद्धि पर स्वीकृत किया गया। इस सन्दर्भ में किराये से सम्बन्धित लैजर के पेज संख्या 46 की जाँच पर पाया गया कि ठेकेदार द्वारा अवधि 1.3.11 से 28.2.12 की ठेका राशि को समय पर जमा नहीं करवाया गया तथा दिनांक 31.12.12 को उक्त ठेके से सम्बन्धित ₹94000/– वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि 1.3.11 से 28.2.12 को ठेका राशि	294000
वर्ष 2011 में प्राप्त भुगतान	80000
दिनांक 31.12.11 को बकाया राशि	214000
वर्ष 2012 में प्राप्त भुगतान	120000
दिनांक 31.12.12 को बकाया राशि	94000

अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि अब बकाया किराया की ₹94000/– को दण्ड ब्याज सहित वसूलने हेतु मन्दिर न्यास द्वारा उचित पग उठाये जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 अन्य विविध अनियमितताएंः—

(क) निम्नविवरणानुसार वाउचरों से सम्बन्धित कोटेशनों की जाँच पर पाया गया कि कोटेशनों पर एक ही दूरभाष नं0 265169 अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कोटेशने एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई है जिसके कारण न्यास द्वारा बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नही उठाया जा सका जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या 97 दिनांक 20.4.12 राशि ₹21994

क्र0सं0	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**कोटेशन पर अंकित दूरभाष नं0**
1	M/S Grover Enterprises Kangra	Nil
2	M/S Sunder Dass Ravi Kangra	265169
3	M/S Ritesh Electrical Kangra	265169

वाउचर संख्या 96 दिनांक 20.4.12 राशि ₹9000

क्र0सं0	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**कोटेशन पर अंकित दूरभाष नं0**
1	M/S Ritesh Electrical Kangra	265169
2	M/S Sunder Dass Ravi Kangra	265169
3	B.B.C. Electricals	98616—55505

(ख) वाऊचर संख्या 62, माह 4/12 के अन्तर्गत ₹7440/— का भुगतान श्री वृद्धि सिंह को पतल व डूना इत्यादि की आपूर्ति के एवज में किया गया। उक्त खर्च हेतु कोई निविदाएं नहीं ली गई जिनके अभाव में किये गये भुगतान से सम्बन्धित रेटो की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः निविदायें आमन्त्रित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस अनियमितता को भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)198/99–खण्ड–5,–3506–10–दिनांक,26.06.2014
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–
(1) मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास माता श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
(2) अध्यक्ष मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश
(3) निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9
(4) अवर सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
(5) श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी द्वारा..............

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

परिशिष्ट–''क''

श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनिर्णीत पैरों की स्थिति :–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/94 से 12/98

1	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(च)	निर्णीत	(₹6000 की वसूली रसीद संख्या 845/42041 दिनांक 3.1.14 द्वारा कर ली गई है)
4	पैरा 6(ख)(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ख)(3)	अनिर्णीत	
6	पैरा 25(क)	अनिर्णीत	
7	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 25(घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 25(ङ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 25(च)	अनिर्णीत	
11	पैरा 29(ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा 45	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2000

1	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत

5	पैरा 13(2)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2001 से 31.12.2001

1	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
2	पैरा 17(ख)(2)	आंशतः निर्णीत	(मद संख्या 8, 9 में दर्ज ₹17,140 की वसूली सुलभ इन्ट्रनैशनल के बिल से माप पुस्तिका 35/69 में कर ली गई है)

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2002 से 31.12.2002

1	पैरा 5(क)(1 से 5)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क)(6)(ए0बी0सी0डी0)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(क)(7 से 8)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ञ)(1)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(क)(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(क)(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(क)(3)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(क)(4)	अनिर्णीत
11	पैरा 12	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2003 से 31.12.2004

1	पैरा 5(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत

6	पैरा 12(क)	अनिर्णीत	
7	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 15	अनिर्णीत	
9	पैरा 33(1)	अनिर्णीत	
10	पैरा 33(2)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2005 से 31.12.2005

1	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
2	पैरा 13	अनिर्णीत	
3	पैरा 16	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2006 से 31.12.2007

1	पैरा 10	अनिर्णीत	
2	पैरा 11	अनिर्णीत	
3	पैरा 21	निर्णीत	(दिनांक 4.1.10 से सम्बन्धित Proceeding व कार्रवाई देख ली गई है)

अतिरिक्त निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के निरीक्षण प्रतिवेदन जोकि पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)(2)(15)(14)198/99, दिनांक 06.04.2009 द्वारा जारी किया गया में सम्मिलित पैरे :–

1	पैरा 4(क)(1)	अनिर्णीत	(अन्तर का मिलान किया जाना शेष है)
2	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(क)(3)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2008 से 31.12.2009

1	पैरा 5	निर्णीत	(₹3854/– की चाँदी की वसूली कर ली गई है व कार्रवाई देख

			ली है)
2	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
7	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12(i)	अनिर्णीत	
12	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2010 से 31.12.2010

1	पैरा 4	निर्णीत	(दरूस्ती उपरान्त आवश्यक कार्रवाई देख ली है)
2	पैरा 5	निर्णीत	(अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08–09 के पैरा 5 में पहले से निर्णीत व यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में प्रारूपित है)
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 11	अनिर्णीत	
5	पैरा 12	अनिर्णीत	
6	पैरा 13	अनिर्णीत	
7	पैरा 14	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2011 से 31.12.2011

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा कर दिया गया है)

2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है।)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है।)
4	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है।)
5	पैरा 7 (i)	निर्णीत	(कोटेशन देख ली है)
6	पैरा 7 (ii)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
7	पैरा 8	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (i)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10 (ii)	निर्णीत	(बिल संख्या ii में ₹25518 की वसूली ठेकेदार से एम0बी0 42 पेज संख्या 63 पर कर ली गई है)
11	पैरा 10 (iii)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
12	पैरा 10 (iv)	अनिर्णीत	
13	पैरा 11	निर्णीत	(जल प्रभार ₹21342/– की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से एम0बी0 41 पेज संख्या 94 पर कर ली गई है)
14	पैरा 12	अनिर्णीत	
15	पैरा 13 (i) (ii)	निर्णीत	(रसीदें देख ली है)
16	पैरा 14	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
17	पैरा 15	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
18	पैरा 16	अनिर्णीत	

19	पैरा 17	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
20	पैरा 18	निर्णीत	(आवश्यक प्रमाण पत्र व कार्रवाई देख ली गई है)
21	पैरा 19	निर्णीत	(सेवा पंजिका पूर्ण रूप से तैयार कर ली गई है)
22	पैरा 20	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	90
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	23
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/11 से 12/11 तक अनिर्णीत पैरे	67